IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में संयुक्त परिवार का बदलता स्वरूप : समस्याएँ व चुनौतियाँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मुकेश कुमार गर्वा

शोधार्थी

समाज शास्त्र विभाग

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी युनिर्वसिटी,

सीकर (राज.)

सारांश

परिवार की संयुक्तता अर्थात् सह-निवासी व सह-भोजी और नातेदारी समूह अदृश्य हो रही है और वर्तमान समय स्थिति ऐसी हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत के लोगों में संयुक्त परिवार की धारणा धीरे-धीरे पूर्णत: विलुप्त हो जायेगी। अब केवल संयुक्तता की संबंध विच्छेदन प्रवृति में बदलाव आ रहा है। विस्तृत संयुक्त परिवार की अपेक्षा अब छोटे क्षेत्र में कार्य करने वाले दो-तीन पीढ़ियों तक का ही परिवार होगा। साथ ही अधिकांशत: ऐसे एकाकी परिवार जिनमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे अलग रहते है, प्रकार्य की दृष्टि से अपने प्राथमिक नातेदारों के साथ (जैसे भाई, पिता, आदि) संयुक्त बने रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। प्राणीशास्त्रीय आधार पर समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना करना भी कठिन है।

मुख्य बिन्दु : समाज, परिवार, संयुक्तता, समूह, मानव

प्रस्तावना

संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में अति प्राचीन है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा अन्य धर्म के लोगों में भी संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती रही है, भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते है अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्यौहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते है और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं।

संयुक्त परिवार शब्द में संयुक्तता की धारणा की विभिन्न विद्वानों ने विविध प्रकार से विवेचना की है। ***इरावती कर्वे*** के अनुसार - प्राचीन भारत में परिवार निवास, सम्पति और प्रकार्यों के आधार पर संयुक्त था। कर्वे ने संयुक्त परिवार की पाँच विशेषताएँ बताई है- सह निवास, सह रसोई, सह सम्पति, सह पूजा तथा कोई नातेदारी सम्बन्ध इस प्रकार कर्वे का संयुक्तता का आधार है- आकार, निवास, सम्पत्ति और आमदनी। ***कपाड़िया*** का मानना है कि - हमारा आदि परिवार केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं था, इसके साथ-साथ हमारे परिवार व्यक्तिश भी होते थे। ***आई.पी. देसाई*** मानते है कि - सह निवास तथा सह रसोई को संयुक्त परियार की परिसीमा के लिए आवश्यक समझना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से संयुक्त परिवार को सामाजिक सम्बन्धों को समुच्चय एवं प्रकार्यात्मक इकाई नही

माना जायेगा। ***रामकृष्ण मुखर्जी*** ने पाँच प्रकार के संबंध बताते हुए वैवाहिक, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-भाई व भाई-बहन को समरेखीय तथा विवाहमूलक सम्बन्ध कहा है कि संयुक्त परिवार वह है जिसके सदस्यों में उपरोक्त पहले तीन सम्बन्धों में से एक या अधिक और समरेखीय या विवाहमूलक या दोनों सम्बन्ध पाये जाते है। बी.एन. कोहन, एस.सी. दुबे, हैरोल्ड गुल्ड व पालिन कोलेण्डा सह-निवास और सह-भोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते है। एफ.जी. बेली. टी.एन. मदन संयुक्त सम्पत्ति स्वामित्व को अधिक महत्व देते है, भले ही उनके निवास अलग-अलग हो तथा सम्पत्ति में सहस्वामित्व न हो। दायित्व को पूरा करने का अर्थ है अपने को परिवार का सदस्य मानना, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देना तथा संयुक्त परिवार के नियमों को मानना। ***जोली*** के अनुसार - एक संयुक्त परिवार में न केवल माता-पिता एवं बच्चे-भाई तथा सौतेले भाई सांझी संपत्ति पर निर्वाह रहते है अपितु इसमें कभी-कभी कई पीढ़ियों के सगोत्र संबंधी एवं पूर्वज भी शामिल है।

संयुक्त परिवार के प्रकार

सता, वंश एवं स्थान के आधार पर

1. पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार
2. मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय परिवार

पीढ़ियों की गहराई के आधार पर

1. संयुक्त परिवार का उदृग प्रारूप
2. संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप
3. संयुक्त परिवार का मिश्रित प्रारूप

संयुक्त परिवार की प्रवृति

भारतीय परिवार का संरचनात्मक आदर्श पश्चिमी परिवार के आदर्श से बिल्कुल अलग है। भारत में चूंकि: आदि परिवार की संरचना वही थी जिसे आज संयुक्त परिवार कहा जाता है, अत: हमें इस परिवार को मूल परिवार की इकाई के रूप में समझना चाहिए और इसे परम्परागत परिवार की संज्ञा देनी चाहिए, अर्थात् वह परिवार जो अपनी पैतृक इकाई से पृथक हो गया है। आवासीय पृथक्करण के बाद भी वह अपने पैतृक इकाई पर निर्भर रह सकता है या फिर पूर्ण रुपेण स्वतंत्र इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है। संयुक्त शब्द केवल तभी उपयुक्त होगा जब हम एकाकी परिवार को मूल परिवार की इकाई माने और इस प्रकार से ही एकाकी इकाईयों के समन्वय में एक नये परिवार की धारण सामने आती है।

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण -

1. **सत्तात्मक संरचना -** सत्तात्मक का अर्थ है कि निर्णय तथा निश्चय करने की शक्ति एक व्यक्ति में होती है जिसकी आज्ञा का पालन बिना-चुनौती के होना चाहिए। प्रजातंत्रीय परिवार में सत्ता एक या एक से अधिक लोगों में निहित होती है इसके विपरीत सत्तात्मक परिवार में सत्ता आयु एवं वरिष्ठता के आधार पर सबसे बड़े पुरुष के पास होती है।
2. **पारिवारिक संगठन -** इसका अर्थ है कि व्यक्ति के हितों का पूरे परिवार के हितों के सामने कम महत्व होता है, अर्थात् परिवार का लक्ष्य ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए।
3. **आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की प्रस्थिति का निर्धारण -** परिवार के सदस्यों की प्रस्थिति का निर्धारिण उनकी आयु और संबंधों द्वारा निश्चित होता है। पति का पद पत्नी से ऊँचा होता है। दो पीढ़ियों में ऊँची पीढ़ी वाले व्यक्ति की प्रस्थिति अधिक ऊँची होती है। लेकिन उसी पीढ़ी में बड़ी आयु वाले व्यक्ति की प्रस्थिति कम आयु वाले व्यक्ति की प्रस्थिति से ऊँची होती है।
4. **सन्तान तथा भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता -** रक्त सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। दूसरे शब्दों में पति-पत्नी के सम्बन्ध, पिता-पुत्र या भाई-भाई सम्बन्धों की अपेक्षा निम्न माने जाते हैं।

5. **संयुक्त दायित्वों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन -** परिवार संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों के आदर्शों के आधार पर कार्य करता है। यदि पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऋण लेता है तो उसके पुत्रों का भी यह दायित्य हो जाता है कि वह उसकी वापसी का प्रयत्न करे।
6. **सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव -** परिवार के सभी सदस्यों पर समान ध्यान दिया जाता है। यदि एक भाई के पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई जाती है तो दूसरे सभी भाईयों के बच्चों को भी उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का मौका प्रदान किया जायेगा अर्थात् सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है।
7. **वरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर सता-निर्धारण -** परिवार में स्त्री-पुरुषों, पुरुषों-पुरुषों, स्त्रियों-स्त्रियों के बीच के सम्बन्धों का निर्धारिण वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यद्यपि सबसे बड़ी आयु का पुरुष या स्त्री किसी दूसरे को सत्ता सौंप सकते हैं, लेकिन यह वरीयता के सिद्धान्त पर ही होगा जिससे व्यक्तिवाद की भावना विकसित न हो सके।

संयुक्त परिवारों की पारिवारिक संरचना में परिवर्तन

परम्परागत भारतीय संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हुए है और यह संक्रमण के काल से गुजर रहा है, नवीन परिस्थतियों के कारण संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को कुछ विद्वानों ने विघटन माना है।

संयुक्तता में परिवर्तन को हम दो स्तरों पर संरचनात्मक एवं अंतरक्रियात्मक देख सकते है। कई विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययनों में संयुक्तता को एकात्मकता या एकल परिवार की तरफ जाते हुए देखा है जो निम्नलिखित हैं-

1. **आई.वी. देसाई (1964)** ने 1955 में शहरी परिवारों का गुजरात के महुआ नगर में अध्ययन किया और पाया कि एकलता बढ़ रही है, संयुक्तता घट रही है। व्यक्तिवाद की भावना में बढ़ोतरी के साथ ही साथ नातेदारी संबंधों का दायरा भी छोटा होता जा रहा है।
2. **कपाड़िया (1956)** ने 1955 में गुजरात के नवसारी शहर और आसपास के 15 गांवों के शहरी 18% और ग्रामीण 82% परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों का अनुपात लगभग उतना ही है जितना की एकल परिवारों का एवं जाति के दृष्टिकोण से गांव में उच्च जातियों में प्रमुखता से संयुक्त परिवार है जबकि निम्न जातियों में एकल परिवार अधिक है। इनके अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परिवार स्वरूपों में अंतर आर्थिक कारकों द्वारा जाति स्वरूपों के परिवर्तन का परिणाम है।
3. **ए.एम. शाह (1955-1958)** के बीच गुजरात में एक गाँव में परिवारों का अध्ययन किया था। परिवारों का वर्गीकरण सरल एवं पैतृक परिवार पूर्ण या आंशिक हिस्से का बना हुआ है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि एक तिहाई परिवार मिश्रित और दो तिहाई परिवार सरल थे जो ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है।
4. **एम.एस. गोरे** ने 1960 में दिल्ली शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा में रोहतक एवं हिसार जिलों के एक सीमावर्ती भागों में अध्ययन किया और इन्होंने दो प्रकार के परिवार पाए एक पति-पत्नी और विवाहित बच्चों वाला परिवार, दूसरा पति-पत्नी, अविवाहित व विवाहित पुत्र जो सभी जगह प्रमुख थे। इनके अध्ययन अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट नहीं होते हैं।
5. **सच्चिदानंद (1977)** ने बिहार के जिले शाहबाद के 30 परिवारों का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि एक चौथाई परिवार एकल थे और करीब तीन चौथाई संयुक्त, जो पारंपरिक परिवारों की प्रधानता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि मध्यम एवं निम्न जातियों की अपेक्षा उच्च जातियों में एकल परिवारों की संख्या अधिक थी।
6. **निधि कोतवाल** और **भारती** ने अपने अध्ययन में बताया कि एकल माताओं के सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक स्थितियाँ जिसमें वित्तीय समस्याएँ भी थी।

अनेक विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत में संयुक्तता (संयुक्त परिवार) की जगह एकाकी परिवारों में तब्दील हुए है अब परिवार एकाकी से भी अलग होकर एकल माता-पिता में परिवर्तित हो रहे हैं।

पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के कारक

परिवार की संरचना में परिवर्तन किसी प्रभावों के एक समुच्चय से नहीं आया है और न यह सम्भव है कि इन कारकों में से किसी एक को प्राथमिकता दी जा सके। इस परिवर्तित होते हुए परिवार के लिए कई कारक उत्तरदायी है। औद्योगीकरण और उसके सार्वभौमिक मापदण्ड जो निरन्तर विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर रहे है, व्यक्तिवाद के आदर्श, समानता और आज़ादी तथा वैकल्पिक जीवन पद्धति की सम्भावना जैसे कारकों के सम्मिलन से ही संक्रमणकालीन परिवार उदय हुआ है। मिल्टर सिंगर ने परिवार में परिवर्तन के लिए चार कारकों को उत्तरदायी माना है- आवासीय गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा और द्रव्यीकरण।

भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य

संयुक्त परिवार में होने वाले अनेक परिवर्तनों के कारण प्रश्न पैदा होता ही है कि क्या संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएंगे या उनका पूर्णत: विघटन हो जाएगा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और धीरे-धीरे यह समाप्त हो जाएंगे। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इसे अस्वीकार किया है उनका यह मानना है कि संयुक्त परिवारों का विघटन नहीं वरन् रुपांतरण है, नवीन परिस्थतियों से अनुकूलन है। भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य वृद्ध संरचनात्मक परिवर्तनों और स्थानीय स्तरों पर परिवार और उसके साथ जुड़े हुए व्यवहारों पर उनका प्रभाव भी निर्भर है। संयुक्त परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार में झगडे, तनाव, दबाव और मनमुटाव का हल किस प्रकार ढूंढा जाता है।

निष्कर्ष

संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और मूल्य की पुरानी संरचना को चुनौती दी गई है। बढ़ती हुआ व्यक्तिवाद उम्र के पुराने पदानुक्रम अधिकार की वैधता पर सवाल उठाता है। पुराने मूल्य प्रणाली में भी काफी बदलाव होता है। हालांकि परिवर्तन की इस प्रणाली ने विभिन्न पिढ़ियों से संबंधित परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान, प्यार और स्नेह के महत्व को कम कर दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति की स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है। पीढ़ी अन्तराल की स्थिति में कई वृद्ध निराशा और समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं। चूंकि भावनात्मक बंधन कमजोर हो गया है कई युवा सदस्यों को परिवार में पहचान संकट की भावना महसूस होती है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता है कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति प्रमुख रही है हालांकि शारीरिक अलगाव परिवार के ढांचे की संयुक्तता की भावना से प्रस्थान के लिए नहीं बोलता है। आवश्यकता में प्रभावी सहयोग की भावना और एक-दूसरे के प्रति दायित्व, संयुक्त परिवार से अलग होने के बावजूद परिवार के सदस्यों के बीच प्रचलित रहे है।

संदर्भ

1. इरावती कर्वे (1953) : किनसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, डिकॉन कॉलेज मोनोग्राम, पूना, पृ. 49
2. आई.पी. देसाई (1956) : द जॉइन्ट फैमिली इन इंडिया : एन एनालाइसिस, सोशल बुलेटिन, वोल्यूम 5, नं. 2 सितम्बर, पृ. 149-156
3. के.एम. कपाड़िया (1966) : मैरेज एण्ड फैमिली इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, पृ. 38
4. ए.एम. शाह (1964) : सोशल चेन्ज एण्ड कॉलेज स्टूडेन्ट ऑफ गुजरात, एम.एस. युनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, पृ. 58
5. आई.पी. देसाई (1964) : सम एसपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, पृ. 32
6. मिश्रा, राजन (2006) : "नातेदारी, विवाह एवं परिवार", एस.आर. साइंटिफिक पब्लिकेशन, पृ. 96.
7. पांडे, एस.एस. : "समाजशास्त्र", टाटा मैग्रेव्हील, पृ. 9.11-9.12
8. गुप्ता, एस.एल., शर्मा, डी.डी. : "समाजशास्त्र", साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ. 200, 204, 208
9. शर्मा, जी.एल. (2015) : "सामाजिक मुद्दे", रावत पब्लिकेशन, पृ. 5
10. कोतवाल, निधि, प्रभाकर, भारती (2009) : "एकल माताओं द्वारा पेश आ रही समस्याएँ", जनरल ऑफ सोशल साइंस, वाल्यूम-21, पृ. 197-200
11. अग्रवाल, जी.के. (2011) : "समाजशास्त्र परिचय", एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 105-106